

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली
कार्यालय आदेश

1/1

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक एवं सहायक/ वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों का स्थानान्तरण/समायोजन केंद्र संख्या 07 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है।

S. No	Name	Post	Subject	Present Posting Place		New Posting Place	
				Name of School	District	Name of School	District
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRATAPA RAM	Senior Teacher (II Gr.)	Hindi	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PALADI SOLANKIYAN (213697)	JALOR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAJAPURA (213756), JASWANTIPURA (08180700304) (PANTHARA)	JALOP
2	MOBIN ALI	Senior Teacher (II Gr.)	Urdu	GOVT. SECONDARY SCHOOL MANDANI (213965) UNDER TRANSFER GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL PADASALA KALLAN (485818) BANIYAVAS	PALI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAWAIBANDH (221309)	PALI
3	BARKAT ALI SAIYYAD	Senior Teacher (II Gr.)	Urdu	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAWAIBANDH (221309)	PALI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DESURI (221375)	PALI

उक्त स्थानान्तरण आदेशों में अंकित कार्मिक तत्काल शाला दर्पण के माध्यम से पूर्ण पदस्थापन स्थान से नवीन पदस्थान स्थान पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कर लेंगे। उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन जारी किये जाते हैं:-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में सही भर्ती से पदस्थापित परीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किया जावे।
- स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक एवं सहायक को उराके सम्बन्धित विषय के स्पष्ट रूप से रिक्त पद ही कार्यग्रहण कराया जावे। अन्य पद/विषय के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र के विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- टीएसपी क्षेत्र से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यासंरण)/परीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवानिवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/ लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- उन संख्या 01 एवं 03 को यात्राभत्ता एवं योगकाल देय होगा।

(अजय कुमार वाजपेयी)

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली
दिनांक :- 14-09-2021

क्रमांक:सनि/शिक्षा/पाली/संस्था-1/स्थानान्तरण/2021-22/730

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शारान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
- शारान उप सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पाली/जालोर/सिरोही।
- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक पाली/जालोर/सिरोही।
- सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ।
- सम्बन्धित सरथा प्रधान/ कार्मिक।
- रक्षक पत्रावली।

उप जिला शिक्षा अधिकारी
(संस्थापन)
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली